

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

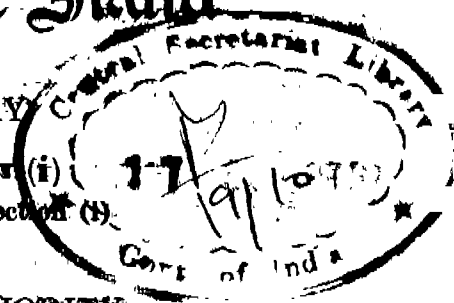
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 247]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 1, 1973/प्राश्विन 9, 1895

No. 247]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 1, 1973/ASVINA 9, 1895

इस भाग में गिनत संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रतिलिपि संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

ORDERS

New Delhi, the 1st October 1973

G.S.R. 463(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Inter-Zonal Wheat and Wheat Products (Movement Control) Order, 1973, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) This Order may be called the Inter-Zonal Wheat and Wheat Products (Movement Control) Third Amendment Order, 1973.

(2) It shall come into force at once.

2. In the Inter-Zonal Wheat and Wheat Products (Movement Control) Order, 1973, in sub-clause (1) of clause 6A, the words "or truthfully labelled" shall be omitted.

[No. 3(Genl.) (5)/106/73-PY.II(II).]

ISHWAR CHANDRA, Jt. Secy

कृषि संचालय

जादव विभाग

आदेश

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 1973

सां. कां. निं. 463 (अ).—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का-10) की धारा 3 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, अन्तःक्षेत्रीय गेहूं और गेहूं-उत्पाद (संचलन नियंत्रण) आदेश, 1973 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश देती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम अन्तःक्षेत्रीय गेहूं और गेहूं-उत्पाद (संचलन नियंत्रण) तृतीय संशोधन आदेश, 1973 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. अन्तःक्षेत्रीय गेहूं और गेहूं-उत्पाद (संचलन नियंत्रण) आदेश, 1973 में, खण्ड 6 के उपखंड (1) में, “या ठीक ठीक लेवल लगे” शब्दों का लोप किया जाएगा।

[सं. 3 (सां.) (5)/106/73—पी० बार्ड०॥ (11)]

ईश्वर चन्द्र, संयुक्त सचिव।